न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 04/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00055

उनवान

1. जनक सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति लोधा निवासी जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. टीकम सिंह पुत्र हुक्म सिंह जाति लोधा निवासी जारौली तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. मुस0 फूलवती पुत्री हीरा सिंह पत्नी रमेशचन्द जाति लोधा निवासी लुहारी तहसील व जिला धौलपुर।
3. मुस0 गंगा पुत्री हीरा सिंह पत्नी उमराव जाति लोधा निवासी ग्राम तोर का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ दिनांक 12.12.12 उनवानी टीकम सिंह बनाम फूल देवी मु0न0 71/12

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 28.04.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकार सैपऊ के आदेश दिनांक 12.12.12 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी में अप्रार्थी तरतीवी रैस्पो0 के पूर्व पुरूष 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार थे उन्होनें अपने हिस्से की आराजी को मंदिर, धर्मशाला व कुँआ इत्यादि बनवाकर जन सामानय को अर्पित कर दिये जिसकी देखरेख बाबूलाल करते हैं। विवादित आराजी में जो शेष रकवा बचा उसके खातेदार प्रार्थी असल रैस्पो0 हैं। अप्रार्थी तरतीवी रैस्पो0 ने मौके पर आकर धमकी दी की उनका भी विवादित आराजी में हिस्सा है। तब प्रार्थी असल रैस्पो0 ने राजस्व अभिलेख की जॉच की तो ज्ञात हुआ कि राजस्व अभिलेख में मंदिर इत्यादि की भूमि को पृथक नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी तरतीवी रैस्पो0 के नाम चल रही है। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर अप्रार्थी तरतीवी रैस्पो0 विवादित आराजी में से प्रार्थी असल रैस्पो0 को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में धारा 96 जा0दी0 के तहत पेश की गयी है।

2. धारा 96 जा0दी0 में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ने विवादित भूखण्ड तरतीवी रैस्पो0 से दावा से पूर्व ही दिनांक 24.07.2012 को क्रय कर लिया है एवं कब्जा प्राप्त कर असल रैस्पो0 के साथ सहखातेदार है। परन्तु अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0 ने पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया एवं स्थगन प्राप्त कर लिया। अतः स्थगन आदेश होने के कारण अपीलाण्ट का राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है। इसलिये अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्ष है। अतः धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने मनन किया। प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट ने जरिये पंजीकृत वयनामा विवादित आराजी को दावे से पूर्व क्रय किया है। जिसका असल रैस्पो0 को भी ज्ञान था परन्तु उन्होनें जानबूझकर अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पारित हुआ है, जो काबिले खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर भी कोई विवेचना नहीं की है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश ना होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलाण्ट का नामांतकरण भी नहीं खुल पा रहा है। अपीलाण्ट को दावे में तो पक्षकार बनाया है। परन्तु स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया। जबकि दावे में जो पक्षकार हैं उन्हें स्थगन प्रार्थना पत्र में भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का कथन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनरूप है। वैसे भी वर्तमान में इस अपील का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बन चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलाण्ट का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है। अतः अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण होना अभी शेष है। दौराने बहस रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा अवगत कराया कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बन चुके हैं एवं उनका नाम भी राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है। इस तथ्य बाबत् अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठायी है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी दौराने दावा क्रय की है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है, तो विवादित आराजी के पुनः खुर्द–बुर्द होने एवं पुनः नये पक्षकार खडे होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर, रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सैपऊ के निर्णय दिनांक 12.12.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर